

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2  
संख्या-07/2018/वे0आ0-2-345/दस-69(सामान्य)/2010टी0सी0  
लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2018

**परिपत्र**

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन में निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित पद को तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अर्हता धारियों में से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति द्वारा भरा जाना प्रस्तावित है :-

पद की संख्या/पदनाम/वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन सादृश्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स	तैनाती हेतु निर्धारित अर्हता
(1)	(2)
एक पद/विशेष कार्याधिकारी (विधि)/वेतन बैंड-3, रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/- के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रू0 67700-208700)	वेतन बैंड-3, रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/- के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल-10 अथवा ग्रेड वेतन रू0 6600/- के सादृश्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 के पद पर कार्यरत अथवा वैयक्तिक रूप से उक्त ग्रेड वेतन प्राप्त कार्मिक, जो विधि स्नातक सहित सम्बन्धित कार्यों का अनुभव रखते हों में से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति द्वारा ।

अतएव अपने विभाग में सम्बन्धित अपेक्षित अर्हता रखने वाले कार्मिक जो उक्त प्रकोष्ठ में से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक हों, के अभ्यावेदन अपनी अनापत्ति सहित अधोहस्ताक्षरी को विलम्बतम 15 दिन तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**मनोज कुमार जोशी**  
विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।